राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 128/2022 प्रार्थना पत्र
जीसीएमएस संख्या – 2022/94

अनवान

प्रार्थीगण

01. अमरी देवी पत्नि पांचाराम
02. तुलसाराम पुत्र पांचाराम
03. विरमराम पुत्र पांचाराम
04. सीता देवी पत्नि पांचाराम

समस्त जातियान बलाई आयु बालिग निवासीयान् भीम, तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

01. अजबा पुत्र नोला
02. भूरा पुत्र नोला के वारिसान
    - राजूराम पुत्र भूराराम उम्र वयस्क
    - मोहन लाल पुत्र भूराराम उम्र वयस्क

    समस्त जातियान बलाई आयु बालिग निवासीयान् भीम, तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान।
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राज़समंद।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नंद किशोर सिंह चौहान
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश कुमार मेहता

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः– 09.07.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी ग्राम भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम जिला राजसमंद के खाता सख्या 248 खसरा संख्या 16652/8851 रकबा 0.3440 है0 किस्म बंजड़ आई हुई है जिस पर हम प्रार्थीगण कृषि कार्य पर आजीविका निर्वाह कर रहे है। उक्त वर्णित आराजियात पर आने जाने के लिए, पशु, मवेशी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी नम्बर 8858 में से होकर रास्ते का उपयोग उपभोग निरंतर करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने बंद कर हमें हमारी कृषि भूमि पर आने जाने नहीं दे रहे है व बंद करने की धमकियां दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 01, 02 उक्त रास्ते को बंद कर हमें हमारी आराजी पर आने जाने से रोकने पर उतारू है व प्रतिदिन गाली–गलौच लडाई झगड़ा करते है। हमारी उक्त आराजियात में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे हमें उक्त भूमि को जोतने तथा अन्य कार्य हेतु आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आराजी नम्बर 8858 में से रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली 25 फिट चौडाई की भूमि को रास्ता भूमि के रूप में दर्ज रिकॉर्ड करें हम नियमानुसार अप्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाद जांच दिनांक 21.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश कुमार मेहता ने दिनांक 25.06.2024 को अण्डरटेकिग ली जाकर वकालतनामा व जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। दिनांक 08.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 02 की मृत्यु पर वारिसन के नाम रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर मोहन राम व राजू राम को अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के रूप में संयोजित किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ना तो वकालतनामा पेश किया और ना ही जवाब पेश किया। जिस पर दिनांक 26.06.2025 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तहसीलदार भीम से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार भीम के पत्रांक भू.अ./2025/2589 दिनांक 25.06.2025 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम भीम की आराजी संख्या 16652/8851 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 8858 में लाल स्याही से अंकित अनुसार चालू है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ रास्ते के उपयोग उपभोग हेतु विवाद किया जाता रहा है। खसरा संख्या 8858 जो खसरा संख्या 8866 से जुड़ता है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रचलित मार्ग पर सीसी रोड़ का निर्माण किया जाकर चलायमान रास्ता आमजन हेतु चालू है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 8866 में बनी सीसी रोड़ से जुडता है तथा प्रार्थीगण को 25 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित है। रास्ते के रूप मे कुल 0.0215 है0 भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा किया जाना है।

3. पत्रावली दिनांक 09.07.2025 को वास्ते बहस मुकर्रर की गई। प्रार्थी संख्या 03 ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात खाता संख्या 248 खसरा संख्या 16652/2851 रकबा 0.3440 है0 किस्म बंजड़ में आवागमन हेतु हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा अप्रार्थीगण हमेशा लड़ाई झगड़े पर उतारू रहते है। अतः तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित 25 फीट चौड़ाई के रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर अप्रार्थीगण को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाने हेतु पाबंद किया जावें। हम प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि हमें हमारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा संख्या 8858 में से तहसीलदार भीम द्वारा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम जिला - राजसमन्द

पेश मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित 25 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार भीम को निर्देशित करें।

4. हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट व प्रार्थी संख्या 03 के बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस आदि का भली–भांति अध्ययन, अवलोकन किया। सुसंगत कानूनी पहलुओं व प्रावधानों का अध्ययन, अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क का अध्ययन, अवलोकन किया। प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 8858 में से लाल स्याही से दर्शाये स्थान से दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी मौजा भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम में कब्जाकाश्त आराजी खसरा नम्बर 16652/8851 रकबा 0.3440 है0 किस्म बंजड़ में पहुंच हेतु निकटतम रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 8858 किस्म बारानी 02 भूमि में से तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित अनुसार 25 फिट चौड़ा रास्ता दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते के रूप में उपयोग की गई भूमि के बदले डीएलसी की दुगुनी प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को तहसीलदार भीम के माध्यम से भुगतान करें। तहसीलदार भीम प्रार्थीगण द्वारा जमा कराई गई प्रतिकर राशि को अप्रार्थीगण को भुगतान कर संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार लाल स्याही से अंकित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज कर पालना से न्यायालय को अवगत करावे तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाने हेतु पाबंद करें। तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार भीम को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द